POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना उसूर जिला–बीजापुर (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमांक / 626 / म0बा0वि0 / स्था0 / नियुक्ति / 2026–27 उसूर, दिनॉक 18 / 11 / 2026

एतत् द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना उसूर द्वारा स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र के निम्नानुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता / सहायिका रिक्त पदो के लिए नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 03 / 12 / 2026 कार्यालय समय 5.30 बजे तक महिला एवं बाल विकास परियोजना उसूर मुख्यालय आवापल्ली जिला बीजापुर में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कमांक	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	गांव का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्यकर्ता / सहायिका
1	2	3	4	5
1	चिंगनपल्ली	चिंगनपल्ली	नेलाकांकेर	सहायिका
2	पाउरगुडा कमलापुर	कमलापुर	नेलाकांकेर	सहायिका
योगः–				2 सहायिका

संलग्न :–आंगनबाडी कार्यकर्ता / सहायिका की नियुक्ति संबंधि निर्देश।

1 आंगनबाडी कार्यकर्ता / सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तथा आंगनबाड़ी सहायिका को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा।

2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे।

3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के विज्ञापन दिनाँक 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (01 वर्ष) या अधिक सेवा का कार्यकर्ता / सहायिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट दी जावेगी। परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

4 आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवास होना चाहिए, जिस ग्राम मे आगंनबाड़ी के केन्द्र स्थित हैं (शहरी क्षेत्रो में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए)

आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

आगंनबाड़ी कार्यकर्ता	**12 वी. बोर्ड उत्तीर्ण**
आगंनबाड़ी सहायिका	**08 वी. बोर्ड उत्तीर्ण**

टीपः–उपरोक्तानुसार शहरी / ग्रामीण / आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार भी कई आवेदिका न मिलने पर आठवीं, पांचवी उत्तीर्ण रखी जावेगी। सहायिका पद में उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

5 शैक्षिणक योग्यता के प्रमाण के लिए अंकसूची की स्व–प्रमाणित छाया प्रति लगाया जाना अनिवार्य होगा। तथापि अंतिम चयन आदेश पूर्व मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ अंकसूची सहित आवश्यक सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित हो। अंतिम चयन / चयन के समय मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समुचित प्रकिया का निर्धाण किया जाएगा। सत्यापन ना होने पर नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा। सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित कर लगाये जावेंगे।

6 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण

पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे यह शपथ पत्र देना होगा कि छः महीने में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा उसकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

7 पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – (1) शहरी क्षेत्र के लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। विधवा को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना उसूर
जिला–बीजापुर (छ.ग.)
उसूर, दिनांक 18/11/2026

पृ0 क्रमांक/ 626 ए/ परि0अधि0/स्था/नियुक्ति/2026–27
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय जिला बीजापुर को सादर सूचनार्थ।
2. जिला महिला एंव बाल विकास अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार तहसील उसूर को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उसूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसूर को सूचनार्थ।
6 मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी उसूर का सूचनार्थ।
7 सर्व सचिव ग्राम पंचायत ..... को लेख है कि ग्राम पंचायत के प्रचार–प्रसार कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना उसूर
जिला–बीजापुर (छ.ग.)